संख्या-11/2017/आर-133/26-3-2017-4(50)/2016टी.सी.

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 13 जनवरी, 2017

विषयः- रिट याचिका संख्या-14553(एम.एस.)/2016 शिवम् सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-23.06.2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-3024/स.क./शिक्षा-अ/2016-17, दिनांक-22.10.2016, अर्द्धशासकीय पत्रांक-4256/स.क./शिक्षा-अ, दिनांक-23.11.2016 एवं पत्रांक-4977/स.क./शिक्षा-अ 2016-17 दिनांक-12.01.2017 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-23.06.2016 के अनुपालन में याची छात्र की वर्ष 2015-16 की दशमोत्तर सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि कुल रूपये-54,400/-(रूपये चौवन हजार चार सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान संख्या-80 के योजनान्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-23.06.2016 के अनुपालन में याची छात्र का प्रत्यावेदन स्वमुखरित अपने स्तर से निस्तारित कराने का कष्ट करें।

उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ.संख्या-11/2017/आर-133(1)/26-3-2017 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी।/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से
कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in